

राज्य स्वास्थ्य समिति में किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रकाशित निविदा Notice Inviting Tender for selection of agency for hiring of vehicles (NIT) Reference No-13/SHSB/(Rate Contract-Hiring of Vehicles)/2019-20 का प्री-बीड समिति की बैठक दिनांक 22.11.19 जो अपराह्न 2.00 बजे राज्य स्वास्थ्य समिति के सभागार में सम्पन्न हुई की कार्यवाही:-

**उपस्थिति पंजी के अनुसार:-**

1) राज्य स्वास्थ्य समिति में किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रकाशित निविदा Notice Inviting Tender for selection of agency for hiring of vehicles (NIT) Reference No- 13/SHSB/(Rate Contract-Hiring of Vehicles)/2019-20 का प्री-बीड समिति की बैठक दिनांक 22.11.19 जो अपराह्न 2.00 बजे राज्य स्वास्थ्य समिति के सभागार में की गई।

2) डा0 अशोक कुमार सिंह, निदेशक प्रमुख(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार के अवकाश में रहने के कारण बैठक की अध्यक्षता श्री खालिद अरशद, प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना द्वारा की गई।

3) उक्त प्री- बीड बैठक में कुल पाँच एजेंसियों यथा 1. AE Mart Pvt.Ltd, Patna 2. Friends Travel Agency 3. Rama Services 4. RPS Travels 5. Vandna Tour & Travels के द्वारा भाग लिया गया।

4) लगभग सभी एजेंसियों द्वारा निविदा कि कंडिका Section-IV, Para-28 “The minimum assured distance for outstation booking/travel, shall be 75kms for 24 hours” तथा Section VII, appendix-G, Para-1 पर सुझाव दिया गया कि minimum assured distance को 200km किया जाय या 75kms for 12 hours किया जाय। इस संबंध में निदेशानुसार वंदना टूर एण्ड ट्रेवल्स के द्वारा लिखित में भी दिया गया है। अतः इस संबंध में समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि Assured distance for outstation booking/travel, shall be 75kms for 12 hours किया जा सकता है।

5) निविदा की कंडिका section-II की कंडिका-9.7 उप कंडिका 12 एवं section -V की कंडिका 2(V) में अंकित “The bidder agency should have atleast 3 vehicle any make/model for each of type A and B category vehicles registerd in the name of bidder/agency” रखा गया था। समिति द्वारा विचारोपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इसमें आंशिक बदलाव करते हुए इसे इस प्रकार रखा जाए “The bidder/agency should have atleast 5 vehicles of any make/model of the type A and B category vehicles(S), registered in the name of the bidder/agency.”

6) निविदा की कंडिका section-IV की कंडिका 14 जिसके तहत If the service provider, has paid toll tax via Fastag, then it will be required to mention the same in the duty slip, and get the same signed and approved by the concerned officer/using officer in the SHSB & shall submit copy of the e-bill at the time of submission of bills में निविदादाताओ के अनुरोध पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Fastag slip जो माह के अंत में एजेंसी द्वारा प्रिंटआउट निकाला जायेगा उस पर अधिकारियों का हस्ताक्षर संभव नहीं हो सकेगा क्योंकि संभव है कि संबंधित अधिकारी इस कार्यालय से बाहर के हो। अतः इसे निम्न प्रकार पढ़ा जायेगा “If the service provider, has paid toll tax via Fastag, then it will be required to mention the same in the duty slip, and copy of the e-bill shall be submitted at the time of submission of bills.”

7) एजेंसी द्वारा समर्पित अन्य मांगों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उपरोक्त के अलावे अन्य किसी कंडिका में बदलाव मान्य नहीं है।

अतः उपरोक्त संशोधनों पर कार्यपालक निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है और आदेशोपरांत उक्त आशय की एक सूचना अपलोड कराया जा सकता है।

एस0आर0यू0 के प्रतिनिधि

प्रोक्योरमेंट एण्ड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट विशेषज्ञ

प्रभारी हाउसकीपिंग

अपर निदेशक(वित्त)

सी0एम0ओ0,आर0ओ0एच0 एण्ड एफ0डब्लू0

प्रशासी पदाधिकारी,  
राज्य स्वास्थ्य समिति